(6)

पत्रांक–22/अनु0–05/2012 सा0प्र0.....1342...../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

भीम प्रसाद,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–....6......फरवरी, 2017

विषयः– **अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ–पत्र के समर्पण की लागू वर्त्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्व–घोषित/स्व प्रमाणित–पत्र को अनुमान्य करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध–सरकारी पत्रांक–के0 11022/67/2012 ए0आर0 दिनांक–17.07.2014 तथा मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार के अ0स0 पत्रांक–502/03/02/ 2014–सी0ए0भ0 दिनांक–30.07.2014 के तहत भारत सरकार द्वारा नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ–पत्र के समर्पण की लागू वर्त्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्व–घोषित/स्व प्रमाणित–पत्र को अनुमान्य करने की व्यवस्था लागू की गई है।

2. भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/सेवाओं में, जहाँ वैधिक शपथ–पत्र की आवश्यकता नहीं है, को छोडकर, अन्य मामलों में नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ–पत्र के समर्पण की लागू वर्त्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्व–घोषित/स्व प्रमाणित–पत्र को अनुमान्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितो में से किसी एक को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा प्राप्त करने के लिए उसके पक्ष में अन्य आश्रितों का अनापत्ति शपथ–पत्र प्राप्त किया जाता है जो नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ–पत्र होता है। उसी प्रकार आश्रितों के अनियोजन के संबंध में भी उनसे प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाते हैं। उपर्युक्त शपथ–पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी आश्रितों में से एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने हेतु अन्य आश्रितों से उसके पक्ष में स्व–घोषित/स्व प्रमाणित–पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है जो प्रपत्र–1 के रूप में संलग्न है। आश्रितों के संबंध में नियोजन से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु स्व–घोषित/स्व प्रमाणित–पत्र प्रपत्र–2 के रूप में संलग्न किये जाते हैं। अनुरोध है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रितों से तदनुसार स्व–घोषित/स्व प्रमाणित–पत्र प्राप्त किया जाये।

अनुलग्नकः–यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन
(भीम प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

समाहरणालय, सहरसा
(जिला स्थापना शाखा)

ज्ञापांक ....865.../स्था0, सहरसा, दिनांक ....20/07/..., 2017 ई0।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा /अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, सहरसा/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर /असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा/ अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, सहरसा अंचल, सहरसा /अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, सहरसा/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कोशी क्षेत्र, सहरसा/ जिला अभियोजन पदाधिकारी, सहरसा/ अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल सहरसा/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, सहरसा/समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस, सहरसा, आई0आर0बी0 2 कैम्प कटिहार/ संयुक्त निदेशक, शष्य, सहरसा प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, सहरसा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

19/7/17
स्थापना उप समाहर्त्ता,
सहरसा।

2nd copy
प्राप्त सं0 275
09/2/17

(5)

प्रपत्र–I

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित आवेदक/आवेदिका के पक्ष में मृत सरकारी कर्मी के अन्य आश्रित द्वारा समर्पित स्व–घोषित/स्व प्रमाणित–पत्र प्रारूप

(1) स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र समर्पित करने वाले का नाम तथा मृत सरकारी कर्मी से संबंधः–

(2) स्थायी तथा पत्राचार का पताः–

(3) मृत सरकारी कर्मी का नामः–

(4) मृत्यु की तिथिः–

(5) मृत्यु के समय पदस्थापित विभाग/कार्यालय का नामः–

(6) आवेदक/आवेदिका का नामः–

(7) मैं स्वेच्छा से यह स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं सेवाकाल में मृत उपर्युक्त सरकारी कर्मी के आश्रितों में से एक हूँ। अनुकम्पा समिति द्वारा यदि आवेदक/आवेदिका श्री/सुश्री/श्रीमती..................................की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। मुझे विश्वास है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के उपरान्त उनके द्वारा सभी आश्रितों का भरण–पोषण एवं देखभाल किया जायेगा।

नामः–

तिथिः–

प्रपत्र–II

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु मृत सरकारी सेवक के आश्रितों द्वारा नियोजन के संबंध में स्व–घोषित/स्व प्रमाणित–पत्र प्रारूप

मैं...इस स्व–घोषणा/स्व प्रमाणित–पत्र के माध्यम से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी स्व0 ....के आश्रितों में से एक हूँ। मैं किसी सरकारी सेवा अथवा गैर–सरकारी सेवा में नियमित रूप से नियोजित नहीं हूँ। अतः मेरी आय इतनी नहीं है कि मैं मृत सरकारी कर्मी के सभी आश्रितों का भरण–पोषण कर सकूँ। अन्य आश्रित भी किसी सरकारी/गैर–सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं। अतः आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने पर विचार किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना गलत प्रमाणित होती है तो, मुझे नियमानुसार दण्डित किया जा सकता है तथा आवेदक/आवेदिका को अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ से वंचित किया जा सकता है।

नामः–

स्थायी तथा पत्राचार का पताः–

तिथिः–